न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

रा. प्र. क्र. 21 अ/19(3) वर्ष 17-18
मौजा-फुलवारी, मदनतला, प.ह.नं. 22
तहसील शाहगढ जिला सागर (म.प्र)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक-1
सागर जिला (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन

.... अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 22/5/2018)

तहसीलदार शाहगढ का प्रकरण क्रमांक-861 बी/121 वर्ष 17-18 ग्राम फुलवारी, मदनतला अनुविभागीय अधिकारी बण्डाजिला सागर के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर ने ज्ञापन क्रमांक- 973/कार्य/2018 सागर दिनांक 24.03.18 में कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले हस्तांतरित शासकीय भूमि के स्थान पर तहसील शाहगढ के ग्राम फुलवारी, मदनतला, बमनोरा की शासकीय भूमि हस्तांतरित की जाना प्रस्तावित की गई।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार शाहगढ को पत्र क्रमांक-4349/री.कले./18 सागर दिनांक 05.04.18 भेजा जाकर कार्यपालन यंत्री के प्रस्ताव का परीक्षण राजस्व विभाग वन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण करने के उपरांत उपरोक्त ग्रामों का पृथक-पृथक ग्रामवार प्रकरण तैयार कर शासन के नियम निर्देशों के तहत अपने अभिमत के साथ उचित माध्यम से भेजें जाने के निर्देश दिये गये।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग बण्डा के ज्ञापन क्रमांक-731/एस.टी./18 बण्डा दिनांक 22.06.18 में प्रतिवेदित किया गया कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में तहसीलदार शाहगढ़ से प्रतिवेदन लिया गया । तहसीलदार शाहगढ द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक/144/प्र./तह./2018 शाहगढ़ दिनांक 21/05/2018 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि ग्राम फुलवारी प.ह.नं. 22 की भूमि ख.नं. 1 कुल रकवा 25.470 हे. में से 25.000 हे., खसरा नं. 43 कुल रकवा 75.690 हे. में से 65.000 हे. ग्राम मदनतला में खसरा नं. 187 कुल रकवा 25.000 हे. में से 24.290 हे. एवं ग्राम बमनौरा प.ह.नं. 33 के खसरा नं. 194 कुल रकवा 36.400 हे. मे से 21.592 हे. भूमि कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना बरोदा जलाशय, जमर्रा जलाशय एवं पिपरिया जसराज जलाशय के डूब क्षेत्र में गई वन भूमि के बदले उक्त भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित करने बाबत आदेश प्राप्त हुआ । उक्त निर्देश के पालन में दिनांक 07/05/2018 को पुलिस बल, ग्राम कोटवार, पटवारी टीम, जल संसाधन से अनुविभागीय अधिकारी उपयंत्री एवं वन विभाग के डिप्टी रेन्जर, बीटगार्ड एवं पुलिस विभाग से थाना प्रभारी शाहगढ़ अमले के सहित स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में ग्राम फुलवारी के खसरा नं. 1 एवं 43 का सीमांकन किया गया। वन विभाग द्वारा जी.पी.एस. रीडिंग ली गई नियत बिन्दुओं पर चूना लाईन डलवायी गई । खसरा नं. 1 के नक्शा के मध्य में खसरा नं. 02 रकवा 1.10 हे. को हस्तांतरण हेतु चिन्हित किया गया एवं खसरा नं. 43 कुल रकवा 75.69 हे. में से 65.000 हे. रकवा नकशा अनुसार सीमांकित कर बताया गया। चूना डालकर जी.पी.एस. रीडिंग ली गई। सीमांकित भूमि वृक्षारोपण के उपयुक्त एवं अतिक्रमण मुक्त पाई गई। सीमांकित भूमि वन भूमि के कक्ष क्रमांक 502 से लगी हुई है। ग्राम मदनतला के खसरा नं. 187 कुल रकवा 25.000 में से 24.290 हे. भूमि वन विभाग से वन परिक्षेत्र अधिकारी, डिप्टी रेन्जर, बीटगार्ड, जल संसाधन से उपयंत्री श्री जैन की उपस्थिति टीम दवारा सीमांकित की गई, चूना डलवाया गया एवं बीट गार्ड द्वारा आवश्यक बिन्दुओं पर जी.पी.एस. रीडिंग ली गई सीमांकित भूमि वृक्षारोपण के प्रयोजन उपयुक्त एंव अतिक्रमण मुक्त पाई गई। सीमांकित वन भूमि के कक्ष क्रमांक 500 से लगी हुई है । ग्राम बमनौरा में वन विभाग से वन परिक्षेत्र अधिकारी, बीटगार्ड, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन से उपयंत्री श्री जैन ग्राम बमनौरा की भूमि खसरा नं. 194 रकवा 36.400 हे. में से 21.592 हे. के सीमांकन हेतु मौके पर उपस्थित हुये मौके पर निरीक्षण के

कलेक्टर

P.T.O.

रा. प्र. क्र. 21 अ/19(3) वर्ष 17-18

दौरान वन विभाग द्वारा उक्त भूमि को वृक्षारोपण के उपयुक्त न होना बताया गया एवं जी.पी.एस. रीडिंग नही ली गई। तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा प्रस्तुत उक्त् प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशंसा सहित प्रतिवेदन समुचित कार्यवाही हेतु सहपत्रों सहित संप्रेषित है।

प्राप्त प्रस्ताव एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा के प्रस्ताव से सहमत होते हुए तहसील शाहगढ में अनुसूचि में दर्शाए गए ग्रामों की शासकीय भूमि :-

अनुसूची

क्र.	योजना का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ख.नं.	कुल रकवा	हस्तांतरित रकवा	मद
01	कैथ मध्यम परियोजना	फुलवारी	22	01	25.47	14.912	चरनोई
		फुलवारी	22	43	75.69	65.00	चरनोई
02	जमदर्रा जलाशय	मदनतला	22	187	25.00	24.29	चरनोई
03	बरोदा जलाशय	फुलवारी	22	01	25.47	10.08	चरनोई
					कुल योग-	114.28	

का म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2011) के तहत मद परिवर्तन करते हुए कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना, जमदर्रा जलाशय, बरोदा जलाशय में डूब में आने वाली भूमि के बदले बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की जाती है साथ ही प्रकरण क्रमांक- 13 अ/19(3) वर्ष 16-17 में पारित आदेश दिनांक 13.02.18 के द्वारा ग्राम दरारिया प.ह.नं. 06 तहसील रहली का भूमि हस्तांतरण का आदेश निरस्त किया जाता है।

उक्त भूमि से हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण एवं आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(आलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला सागर

पृ.क्र. /6248/ री.कले. /2018 — सागर, दिनांक 22/5/2018

प्रतिलिपः-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।
2- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।
3- कमिश्नर, सागर संभाग सागर को सूचनार्थ।
4- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को सूचनार्थ।
5- वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वन मण्डल सागर को सूचनार्थ।
6- अनुविभागीय अधिकारी रहली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7- अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित तहसीलदार शाहगढ से आदेशानुसार कार्यवाही कराये जाने तथा कार्यवाही उपरांत संशोधित अभिलेख की नकल सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को भेजे जाने हेतु।
8- तहसीलदार शाहगढ को उनके प्रकरण सहित आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।
9- तहसीलदार रहली जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला सागर